

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिघोषणा

संख्या-

आर०

दिनांक-

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम दिघवा चादर नं०-07 थाना नम्बर-339, थाना -गोपालगंज, परगना-मड़हल, जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् महम्मदपुर-छपरा पथ के चौड़ीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-दिघवा चादर नं०-07 थाना नम्बर-339, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश 01.78 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-

खेसरा नं०- 8806 अंश, 8805 अंश, 9779 अंश, 9783 अंश, 9784 अंश, 9785 अंश, 9790 अंश, 9791 अंश, 9792 अंश, 9793 अंश, 9499/10612 अंश, 9799 अंश, 9800 अंश, 9801 अंश, 10564 अंश, 10565 अंश, 9722 अंश, 9731 अंश, 9732 अंश, 9733 अंश, 9734 अंश, 9760 अंश, 9761 अंश, 9762 अंश, 9772 अंश, 9777 अंश, 9776 अंश, 9470 अंश, 9469 अंश।

जिसकी चौहदी निम्नांकित है :-

उत्तर :- दिघवा थाना नं०-339, मिलान चादर नं०-05

दक्षिण :- सीवाना कतालपुर थाना नं०-268


पूरब :- खेसरा सं०-9469 अंश, 9470 अंश, 9473 अंश, 9475 पूर्ण 9771 अंश, 9772 पूर्ण 9762 अंश, 9761 अंश, 9760 अंश, 9734 अंश, 9733 अंश, 9732 अंश, 9731 अंश, 9722 अंश, 10565 अंश, ।

पश्चिम:- खेसरा सं०-8806 अंश, 8805 अंश, 9779 अंश, 9783 अंश, 9784 अंश, 9785 अंश, 9790 अंश, 9791 अंश, 9792 अंश, 9793 अंश, 10612 अंश, 9799 अंश, 9800 अंश, 9801 अंश, 10564 अंश, ।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक है, लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-6 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।


समाहता
गोपालगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ए०-

सरकार के अवर सचिव

कृ० पृ० ३००

ज्ञापांक सं०-14/डी०एल०ए० गोपालगंज (पथ)-115/2012-2977/रा०, पटना, दिनांक-19/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतियां को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10-10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।
७